टी0ए0 मिस केस सं0 136/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
12.10.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका सुनय देवगम, पति– स्व0 दिलीप देवगम, ग्राम– मतकमहातु, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा–मतकमहातु थाना– 642, खाता नं०– 34, प्लॉट नं०–1412, रक्बा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता श्री ब्रजमोहन कुदादा, पिता– स्व0 मधुसुदन कुदादा, ग्राम– बादुड़ी, थाना– मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदिका के पति के नाम पर ना0 मु0 सं– 237(M)2014-15 द्वारा नामांतरित है।आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 561, दिनांक–. 13.08.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पक्का मकान एंव बच्चों की पढाई हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता ब्रजमोहन कुदादा, पिता– स्व0 मधुसुदन कुदादा, ग्राम– बादुड़ी, थाना– मुफ्फसिल, के पास 7,47,800.00/–(सात लाख सैतालीस हजार आठ सौ) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदिका के पास शेष 2.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदिका के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका सुनय देवगम, पति– स्व0 दिलीप देवगम, ग्राम– मतकमहातु, क्रेता बज्रमोहन कुदादा, पिता– स्व0 मधुसुदन कुदादा, ग्राम– बादुड़ी, थाना– मुफ्फसिल के पास 7,47,800.00/–(सात लाख सैतालीस हजार आठ सौ) रूपये मे मौजा– मतकमहातु, थाना– 642, खाता नं०– 34 प्लॉट नं०– 1412, रक्बा– 0.07½ एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति........दी जाती है। लेखापित। [signature] 12/10 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। [signature] 12/10/19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner